वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT 1999 - 2000



स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR



निदेशक मण्डल की सभा का एक दृश्य A view of the meeting of the Board of Directors

सूचना

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (भारतीय स्टेट बैंक का सहयोगी)

भारत में विशिष्ट कानून के अन्तर्गत निगमित। सदस्यों का दायित्व सीमित है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के अंशधारकों की उन्तालीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक बिड़ला ऑडिटोरियम, स्टेच्यु सर्किल के पास, जयपुर में मंगलवार, दिनांक 27 जून, 2000 को 11.30 बजे प्रातः (भारतीय मानक समय) आयोजित की जावेगी, जिसमें 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक की अवधि के बैंक के तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि खाता, इसी अवधि में बैंक के कार्य-निष्पादन एवं क्रियाकलापों पर निदेशकों के प्रतिवेदन तथा तुलन-पत्र व लेखों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार किया जावेगा।

मण्डल के आदेशानुसार

जयपुर मई 25, 2000 **मधुकर** प्रबन्ध निदेशक

Notice

State Bank of Bikaner & Jaipur

(Associate of the State Bank of India)

Incorporated in India under special statute.


The liability of the members is limited.

NOTICE is hereby given that the Thirty ninth Annual General Meeting of the shareholders of State Bank of Bikaner and Jaipur will be held in the Birla Auditorium, Near Statue Circle, Jaipur on Tuesday the 27th June, 2000 at 11.30 A.M. (Indian Standard Time) to discuss the Balance Sheet and Profit & Loss Account of the Bank, the report of the Directors on the working and activities of the Bank and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts for the period from 1st April, 1999 to 31st March, 2000.

By Order of the Board

Jaipur May 25, 2000 Madhukar Managing Director

विषय सूची CONTENTS	
उल्लेखनीय तथ्य	03
Highlights	03
निदेशक मण्डल	05
Board of Directors	05
निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	06
Directors' Report	07
तुलन-पत्र	26
Balance Sheet	26
लाभ-हानि खाता	28
Profit & Loss Account	28
अनुस्चियाँ	30
Schedules	30
प्रमुख लेखा नीतियां	48
Principal Accounting Policies	49
लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन	52
Auditors' Report	53
नकदी प्रवाह विवरण	56
Cash Flow Statement	56



निदेशक मण्डल

श्री जी.जी. वैद्य, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मादाम कामा रोड, मुम्बई.

श्री मधुकर, प्रबन्ध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, जयपुर,

श्री एस.एल. परमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, टोंक रोड, जयपुर

श्री डी. पी. राय, उप-प्रबन्ध निदेशक एवं समूह कार्यपालक (सहयोगी एवं समनुषंगी समूह), भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई.

श्री ए.आर. समाजदार, महाप्रबन्धक, (सहयोगी एवं समनुषंगी), भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई.

श्री बी.वी.ती. राजेश्वर राव, उप महाप्रबन्धक, (सहयोगी एवं समनुषंगी), सहयोगी बैंक विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) के अधीन पदेन अध्यक्ष

अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (एए) के अधीन मनोनीत

अधिनियम की धारा 25 (1) के खण्ड (बी) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मनोनीत

अधिनियम की भारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत डॉ. रंजना, 48, संग्राम कॉलोनी, सी-स्कीम, जयपुर

प्रो. रमेश के. अरोड़ा, बी-56, जनता कॉलोनी, जयपुर.

त्री भीकम चन्द अग्रवाल, द्वारा दलजीता इन्वेस्टमेंट्स (प्राइवेट) लिमिटेड 81, मेकर्स चेम्बर III, 223, नारीमन पोइन्ट मुम्बई - 400 021.

श्री एम.के. पटोदिया, पटोदिया हाऊस, म.न. 145, रोड नं. 3, बेनारा हिल्स, हैदराबाद.

श्री एस.के. ठाकुर, अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग) संसद मार्ग, नई दिल्ली.

श्री के.के. सैनी, मुख्य प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सचिवालय शाखा, जयपुर.

श्री सीता राम अग्रवाल स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, किशनपोल बाजार शाखा, जयपुर. अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सी) के अधीन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मनोनीत

अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (डी) के अधीन चयनित निदेशक

अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (ई) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2ए) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सीबी) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

अधि<mark>निय</mark>म की धारा 26 की उपधारा (2ए) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (1) के खण्ड (सीए) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत

BOARD OF DIRECTORS

Shri G.G. Vaidya, Chairman, State Bank of India, Central Office, Madame Cama Road, Mumbai.

Shri Madhukar, Managing Director, State Bank of Bikaner and Jaipur, Head Office, Tilak Marg, Jaipur.

Shri S.L. Parmar, Regional Director, Reserve Bank of India, Tonk Road, Jaipur.

Shri D.P. Roy, Dy. Managing Director & Group Executive (A & S Group), State Bank of India, Central Office, Mumbai.

Shri A.R. Samajdar, General Manager, (A&S), State Bank of India Central Office, Mumbai.

Shri B.V.V. Rajeswara Rao. Dy. General Manager (A&S) Associates Banks Department, State Bank of India, Central Office, Mumbai. Chairman, ex-officio under clause (a) of sub-section (1) of section 25 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

Nominated under clause (aa) of sub-section (1) of section 25 of the Act.

Nominated by the Reserve Bank of India under clause (b) of subsection (1) of section 25 of the Act.

Nominated by the State Bank of India under clause (c) of subsection (1) of section 25 of the Act. Dr. Ranjana, 48, Sangram Colony, C-Scheme, Jaipur.

Prof. Ramesh K. Arora, B-56, Janta Colony, Jaipur.

Shri Bhikam Chand Agarwal, C/o Daljita Investments (P) Ltd. 81, Makers Chamber III, 223, Nariman Point, Mumbai - 400 021

Shri M.K. Patodia, Patodia House, H.No. 145, Road No. 3, Banjara Hills, Hyderabad.

Shri S.K. Thakur, Under Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs, (Banking Division), Parliament Street, New Delhi.

Shri K.K. Saini, Chief Manager, State Bank of Bikaner and Jaipur, Secretariat Branch, Jaipur,

Shri Sita Ram Agarwal. State Bank of Bikaner and Jaipur, Kishanpole Bazar Branch, Jaipur. Nominated by the State Bank of India under clause (c) of subsection (1) of section 25 of the Act

Elected Director under clause (d) of sub-section (1) of section 25 of the Act.

Nominated by the Central Government, under clause (e) of sub-section (1) of section 25 of the Act.

Nominated by the Central Covt. under clause (cb) of sub-section (1) of section 25 read with sub-section (2A) of section 26 of the Act.

Nominated by the Central Govt: under clause (ca) of sub-section (1) of section 25 read with sub-section (2A) of section 28 of the Act.

निदेशक मण्डल BOARD OF DIRECTORS



श्री जी.जी. वैद्य, अध्यक्ष Shri G.G. Vaidya, Chairman



श्री मधुकर, प्रबन्ध निदेशक Shri Madhukar, Managing Director



श्री एस. एल. परमार Shri S. L. Parmar



श्री डी.पी. राय Shri D.P. Roy



श्री ए. आर. समाजदार Shri A. R. Samajdar



श्री बी. वी. वी. राजेश्वर राव Shri B. V. V. Rajeswara Rao



डॉ. रंजना Dr. Ranjana



प्रो. रमेश के. अरोड़ा Prof. Ramesh K. Arora



श्री भीकम चन्द्र अग्रवाल Shri Bhikam Chand Agarwal



श्री एम. के. पटोदिया Shri M. K. Patodia



श्री एस. के. **टाकुर** Shri S. K. Thakw



श्री के.के. सैनी Shri K.K. Saini



श्री सीता तम अग्रवाल Shri Sita Ram Agarwal

भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43(1) के निबन्धनों के तहत भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार को निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

प्रतिवेदन की अवधि : 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000

भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ष 1999-2000 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1998-99 की 6.8% की तुलना में 5.9% की अनुमानित वृद्धि हुई है। विगत दो वर्षों से औद्योगिक वसूली में हो रही चक्रीय गिरावट में अंतत: सुधार हुआ है। मुद्रास्फीति के नियन्त्रण में रहने के साथ निर्यात में भी वृद्धि हुई है।

औद्योगिक क्षेत्र में गत वर्ष की 4% की तुलना में वर्ष 1999-2000 में 6.9% की वृद्धि का अनुमान है। सेवा क्षेत्र में वर्ष 1998-99 की 8.3% की तुलना में 8.2% की वृद्धि अनुमानित है। निर्यात संवर्धन ने 1998-99 वर्ष की 1.1% की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 11.7% वृद्धि दर्शाई। लेकिन कृषि क्षेत्र में अपेक्षाकृत न्यून वृद्धि के कारण वास्तविक घरेलू उत्पाद दर सीमित रही। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में अनियमित मानसून के कारण गत वर्ष की 7.2% की तुलना में इस वर्ष 0.8% की वृद्धि अनुमानित है। मुझास्फीति की दर में (थोक मूल्य सूचकांक-बिंदु दर बिंदु) 3.7%, दशाब्दी में न्यूनतम, की दर तक गिरावट हुई। यह अप्रैल, 1999 से पूरे वर्ष के दौरान 4% से नीचे स्थिर रही।

पूर्व एशिया संकट एवं पोकरण पश्चातवृति प्रतिबंधों के दोहरे झटकों को भुगतान संतुलन, न्यून चालू खाता घाटा एवं पर्याप्त पूंजी प्रवाह के माध्यम से झेल सका है। विभिन्न देशों द्वारा आर्थिक प्रतिबन्धों के अधिरोपण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेहतर सुधार दर्शाया है। विदेशी मुद्रा भण्डार गत वर्ष के अमेरिकन डॉलर 32.5 बिलियन से बढ़कर अमेरिकन डॉलर 38 बिलियन हो गया। यह वृद्धि अपेक्षाकृत स्थिर विनिमय दर के साथ दर्ज की गई।

उदारवादी वातावरण, व्यवस्थापन एवं प्रशासनिक नियंत्रणों के कारण सूचना प्रोद्योगिकी में क्रान्ति, दूर संचार में तीव्र प्रगति, उद्यम पूंजी वित्त को प्रभावी प्रोत्साहन एवं नियमों व अधिनियमों में उदारीकरण की नीति का प्रादुर्भाव हुआ है। केन्द्रीय सरकार द्वारा दरों की बहुलता में कमी एवं दर संरचना का पुनर्गठन कर अप्रत्यक्ष करों का वृहत् पुनर्कल्पन किया गया है। बीमा क्षेत्र जिस पर प्रारम्भ से ही सरकार का एकाधिकार रहा है, (बैंकों सहित) निजी क्षेत्र हेतु खोल दिया गया है।

क्षेत्रवार निधियों जैसे सूचना प्रोद्योगिकी, औषधीय, और तीव्र चलित उपभोग सामग्री निधियों का प्रथम बार उद्भव हुआ है। लघु निवेशकों की, श्रेष्ठ प्रतिभृति बाजार के प्रति सुलभता बढ़ाने हेतु, सरकारी प्रतिभृतियों में 100% तक निवेश करने वाली निधियां प्रारंभ की गई हैं।

जनवरी, 1999 से शेयर बाजार में पुनरुत्थान आरम्भ हुआ एवं जिसने पूरे वित्तीय वर्ष 1999– 2000 में निरंतर बढ़त बनाये रखी। यह औद्योगिक विकास के प्रति बढ़ते हुए विश्वास का प्रतिबिम्ब है।

बैंकिंग एवं वित्तीय परिवेश

वित्तीय बाजार में उदारता की प्रक्रिया सतत् जारी रही। ऋण एवं मौद्रिक बाजार के विकेन्द्रीकरण के अंतर्गत ब्याज दर विनिमय एवं अग्रिम दर संविदाओं की अनुज्ञा, मुद्रा बाजार म्यूचुअल निधियों एवं श्रेष्ठ प्रतिभृति निधियों को चैक लेखन सुविधा प्रदान की गयी। निगमित निकायों की प्रतिभृतियों में 5% निवेश सीमा से बैंकों के उद्यम पूंजी निवेश को मुक्त रखा गया।

पूंजी बाजार को उदार एवं उन्नत बनाने हेतु विभिन्न उपायों के साथ, व्युत्पादनों, प्रतिभूति की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली संयुक्त निवेश स्कीम की इकाइयों, शेयर का अंकित मूल्य रु. एक अथवा अधिक निर्धारित करने की अनुमित एवं 182-दिन के खजाना हुंडी की शुरुआत जैसे कई कदम उठाये गये।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ब्याज दरों का विनियन्त्रण एवं बैंकों के विवेकशील मानदण्डों को मजबूती प्रदान करने हेतु कदम उठाये गये।


बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रति बकाया वसूली अधिनियम में संशोधन हेतु अध्यादेश जारी किया गया ताकि उनके बकाया की वसूली के उपबंधों को मजबूत किया जा सके।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अखाद्य ऋणों में पिछले वर्ष की 13% की तुलना में 16% की वृद्धि हुई है।

अनुसूचित बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्रों को कुल संसाधन प्रवाह में गत वर्ष की 13.8% वृद्धि की तुलना में 17.7% का विस्तार हुआ है।

आवासीय क्षेत्र को गित प्रदान करने हेतु, स्वयं के निवास के लिये मकान निर्मित करने हेतु लिये गये आवास ऋणों पर रु. 75,000/- तक किये गये ब्याज व्यय पर आयकर की छूट प्रदान की गई। वाणिज्यिक बैंकों को उनकी वृद्धिशील जमाओं के 3% तक आवास ऋण दिये जाने हेतु अनुमत किया गया।

मै. हिल्दया पेट्रोकेमिकल्स लि. ब्रबर्न रोड शाखा, कलकत्ता



Report of the Board of Directors to the State Bank of India, the Reserve Bank of India and the Government of India in terms of Section 43(1) of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.


Period covered by the report: 1st April, 1999 to 31st March, 2000.

INDIAN ECONOMY

Indian Economy is estimated to have grown by 5.9% in 1999-2000, as against 6.8% in 1998-99. Industrial recovery seems finally underway from cyclical down turn of the previous two years. Inflation has been under control and exports are picking up.

Industrial sector is estimated to have grown by 6.9% in 1999-2000 against 4% in the previous year. Services sector is estimated to grow by 8.2% against 8.3% in 1998-99. Export growth showed buoyancy at 11.7% during the year as compared to -1.1% in 1998-99. The relatively poor performance of agricultural sector restricted the real GDP growth. Growth in

M/s Haldia Petrochemicals Ltd. Brabourne Road Branch, Calcutta



agriculture and allied sector is estimated at 0.8% this year against 7.2% last year because of an erratic monsoon. The inflation rate (WPI-point to point) dropped to 3.7%, the lowest rate in decades. It remained below 4% throughout the year since April 1999.

The balance of payment survived the twin shocks of East Asian and post Pokhran crises sanctions with low current account deficit and sufficient inflows. Despite. capital imposition of economic sanctions by various countries. Indian economy showed remarkable resilience. It's forex reserves rose from US \$ 32.5 billion last year to US \$ 38 billion. This rise accompanied by a relatively stable exchange rate.

Liberalised environment and reduced levels of regulatory and administrative controls have resulted in information technology revolution, rapid progress in telecom, strong encouragement to venture capital finance and liberal policy approach to laws and regulation. Central Government The undertook a major overhaul of indirect taxes by reducing multiplicity of rates and rationalisation of the rate structure. Insurance sector which has been a government monopoly since inception has been opened up for private entry (including for banks).

Sectoral funds emerged for the first time covering sectors such

as I.T., Pharma and FMCG. Gilt funds with 100% investment in Govt. Securities were introduced, increasing the accessibility of the Gilt market to small investors.

The stock market started picking up in January 1999 and the uptrend has been maintained throughout the financial year 1999-2000. This is a reflection of increasing confidence in the recovery in industrial growth.

BANKING AND FINANCIAL ENVIRONMENT

The process of liberalising financial markets continued. Decontrol in credit and money markets allowed Interest Rate Swaps and Forward Rate Agreements, Cheque writing facility to MMMFs and Gilts MFs and exemption to Banks' venture capital investments from 5% ceiling on investment in securities of corporate bodies.

A number of steps were taken to liberalise and upgrade the capital market by including derivatives and units of collective investment scheme in the Definition of securities, permission to fix the face value of a share at Re. one or more and introduction of 182-day Treasury Bills.

During the year under review, steps were taken towards further deregulating interest rates and strengthening prudential norms for banks.

An ordinance was issued to amend the Recovery of Dues to

सामान्य भविष्य निधि की ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी, बचत बैंक ब्याज दर को 4% करना, बैंक दर एवं प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी आगामी भविष्य में निम्नतर ब्याज दरों की परिचायक प्रतीत होती है, जो बैंकों के शुद्ध ब्याज प्रसार पर और दबाव बनाये रखेगी।

राजस्थान में आर्थिक परिवेश

समृद्ध संस्कृति से सम्पन्न राजस्थान खनिज सम्पदा में भी सम्पन्न है एवं देश की औद्योगिक रूपरेखा में तेजी से उभर रहा है। यहां कपड़ा, ऊन, चीनी, सीमेंट, शीशा, जिंक व बाल बियरिंग इत्यादि उद्योग प्रमुख हैं। जिंक स्मैलटर संयंत्र, देबारी (उदयपुर) तांबा संयंत्र, खेतडी नगर (झुंझुनू) एवं प्रेसीजन इंस्ट्रुमेंट फैक्टरी कोटा इत्यादि प्रमुख केन्द्रीय उपक्रम हैं। राज्य की करीब 2 लाख लघु उद्योग इकाइयाँ लगभग 7.78 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। मूल्यवान एवं अर्धमूल्यवान रत्न व आभूषण की इकाइयाँ इसकी अन्य प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ हैं।

राजस्थान में जिंक, जिप्सम, एसबेस्ट्स एवं अभ्रक का प्रचुर भंडार है। राज्य में नमक, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर एवं लाल पत्थर के भंडार भी प्रचुरता में हैं। देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क सीतापुरा (जयपुर) में स्थापित किया गया है। विश्व के पर्यटन मानचित्र में राजस्थान प्रमुख स्थान रखता है।

निगम परिचालन

यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1998-99 की 6.8% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 1999-2000 में 5.9% की कम वृद्धि दर्ज की गई, किन्तु सितम्बर, 1999 से बैंक साख में उत्थान के फलस्वरूप वर्ष के दौरान बैंकों के निष्पादन में सुधार हुआ है।

बैंक की कुल आस्तियाँ 31 मार्च, 1999 को रु. 10228.48 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2000 को 21.91% की वृद्धि दर्शाते हुये रु. 12469.15 करोड़ तक बढ़ी है। बैंक की जमा राशियां 17.22% की वृद्धि अभिलिखित करके रु. 7740.82 करोड़ से बढ़कर रु. 9074.02 करोड़ हो गई। अग्रिम संभाग 14.22% की वृद्धि दर्शाते हुये रु. 4192.35 करोड़ से बढ़कर रु. 4788.70 करोड़ हो गया।

बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूर्व वर्ष के रु. 162.12 करोड़ की तुलना में रु. 237.88 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया। बैंक का शुद्ध लाभ पूर्व वर्ष के रु. 91.88 करोड़ की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में रु. 120.42 करोड़

रहा। मार्जिन पर लगातार दबाव के बावजूद वर्ष के दौरान बैंक ने 3% का उचित विस्तार बनाये रखा।

बैंक का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 31.3.2000 को 12.35% था, जो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित 9% से काफी ऊंचा रहा। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समता पर आय गत वर्ष की 21.91% की तुलना में 23.02% रही। आस्तियों पर प्रतिलाभ पिछले वर्ष के 0.98% के स्तर की तुलना में 1.06% रहा।

अंशों का सूचीकरण

बैंक के अंश जयपुर, मुम्बई एवं राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

साख सम्भाग का प्रबन्धन

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा रु. 600.00 करोड़ के साख प्रस्ताव/वृद्धि स्वीकृत किये गये। समीक्षाधीन वर्ष के अंतिम दो तिमाही के दौरान अग्निमों में महत्वपूर्ण उठाव होने के कारण बैंक ने गत वर्ष की तुलना में 14.22% की वृद्धि प्राप्त की।

बैंक अनुदेशों की अनुपालना में जागरुकता लाने, आस्तियों की गुणवत्ता सुधारने एवं जहां आवश्यक हो, पूर्वाधिकृत कार्यवाही करने की दृष्टि से



एक औद्योगिक इकाई को वित्त Financing to an Industrial Unit